

कार्यालय नगर विकास न्यास, सीकर

सर्किट हाउस के पास, जयपुर रोड़, सीकर-332001

ई-मेल uit.sikar@rajasthan.gov.in, फोन नं. 01572-245057

क्रमांक:- नविन्यास/नियमन/2024-25/00720

दिनांक:- 15.01.2025

प्रेषिती:-

मारवाड़ एण्ड द राईजिंग सन कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.,
जरिये अधिकृत व्यक्ति विकास शर्मा पुत्र श्री नेमीचन्द शर्मा,
जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम जैरठी तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर।

विषय:- राजस्व ग्राम सीकर तह. सीकर के खसरा नम्बर 1973/1392 रकबा 0.5700 है. व खसरा नम्बर 2757/2705 रकबा 1.2589 है. अर्थात् कुल रकबा 18289.00 वर्गमीटर भूमि में न्यू सीकर सिटी आवासीय योजना के अनुमोदन बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा राजस्व ग्राम सीकर तह. सीकर के खसरा नम्बर 1973/1392 रकबा 0.5700 है. व खसरा नम्बर 2757/2705 रकबा 1.2589 है. अर्थात् कुल रकबा 18289.00 वर्गमीटर भूमि में न्यू सीकर सिटी आवासीय योजना को टाउनशिप पॉलिसी 2010 की पालना सुनिश्चित करते हुए निम्नांकित शर्तों के अध्वधीन विकसित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. रेरा (RERA) में रजिस्ट्रेशन करवाने के उपरान्त ही भूखण्डों का विक्रय/बेचान किया जावे।
 2. योजना संलग्न अनुमोदित मानचित्रानुसार ही विज्ञ तकनीकीविद की देख-रेख में विकसित की जावेगी। सर्वप्रथम अनुमोदित प्लान अनुसार सम्पूर्ण योजना के चारों ओर सुरक्षा दिवार बनायी जाकर न्यास को सूचित करना होगा।
 3. समस्त विकास कार्य टाउनशिप पॉलिसी 2010 के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ही किये जाने होंगे तथा नियमों की कठोरता से पालना की जानी आवश्यक है।
 4. वाटर ड्रेनेज, ओवर हैड टैंक एवं सीवरेज लाईन हेतु राशि न्यास कोष में जमा करवाई गई है।
 5. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार 2.00 है. तक की योजनाओं के लिए 18 माह की अवधि आन्तरिक विकास कार्यों के लिए निर्धारित है।
 6. योजना का अनुमोदित मानचित्र योजनास्थल पर बड़े पटल पर प्रदर्शित करना होगा।
 7. भू-खण्डों का सीमांकन किया जाकर भू-खण्ड संख्या अंकित किया जाना होगा।
 8. योजना में वृक्षारोपण भवन विनियम 2020 के अनुसार ही किया जाना होगा।
 9. आन्तरिक विकास कार्यों के एवज में 12.50 प्रतिशत (भूखण्ड संख्या 5, 6, 7, 54, 55, 56, 57, 58 कुल भू-खण्ड-8) भू-खण्डों का न्यास के पक्ष में रहननामा सम्पादित किया गया है एवं इस आशय का एक बोर्ड भी योजना में चस्पा किया जाना आवश्यक है।
 10. विकासकर्ता को सम्पूर्ण कार्य होने के उपरान्त 3 वर्ष तक Maintenance किया जाना आवश्यक होगा। (Maintenance charges may be recovered by developer from the allottees).
 11. बोरिंग/ट्यूबवेल/पाईपलाईन को नियमानुसार पी.एच.ई.डी. को हस्तान्तरण (Hand over) किया जाना होगा।
 12. योजना में विद्युतिकरण का कार्य स्टेट इलेक्ट्रीसिटी रूल्स के निर्धारित मापदण्डानुसार किया जाकर ए.वि.वि.एन.एल. को हस्तान्तरण किया जाना होगा।
- संलग्न:- अनुमोदित योजना मानचित्र।

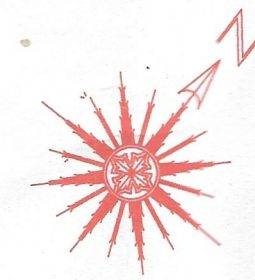
Signature (Not Verified)

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Designation : Secretary
Date: 2025.01.15 17:33:44 IST
Reason: Approved

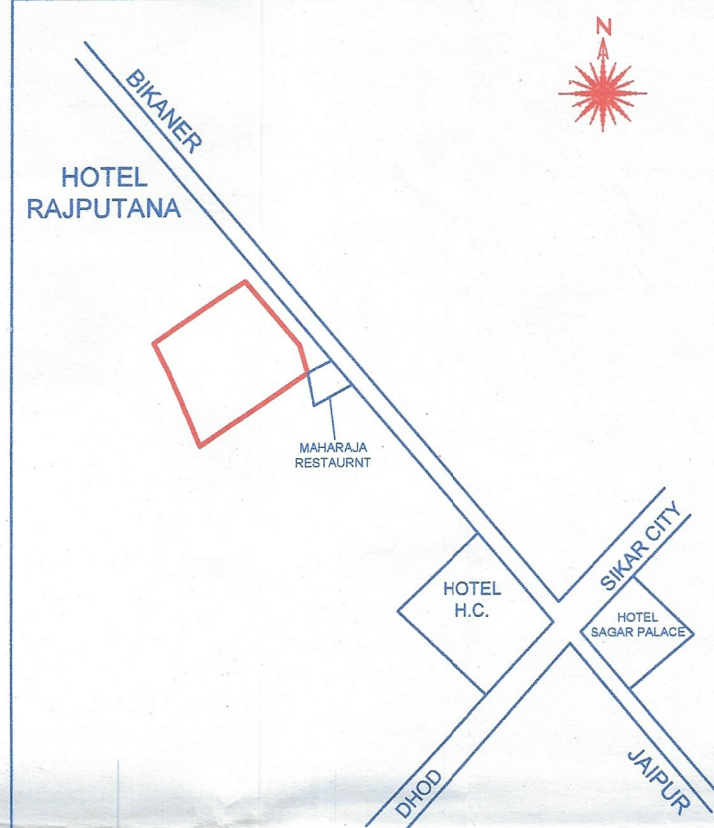


NEW SIKAR CITY RESIDENTIAL SCHEME

LAYOUT PLAN OF KHASRA NO. 2757/2705, 1973/1392 OPPOSITE AT DHOD,
CHORHA, SIKAR, SIKAR
REVENUE VILL. -SIKAR DIST. SIKAR (RAJ.)
FOR- 90A RESIDENTIAL SCHEME
APPLICANT:- MARWAR & THE RISING SUN CONSTRUCTION PVT. LTD.
THROUGH AUTHORIZED PERSON:- VIKASH SHARMA S/O NEMICHAND SHARMA



URBAN IMPROVEMENT TRUST SIKAR



KEY-PLAN Not To Scale

AREA ANALYSIS			
S.N.	LAND USE	AREA (sq.mtr.)	%
1.	RESIDENTIAL	12332.08	67.43%
2.	INFORMAL COMMERCIAL	0255.89	01.40%
3.	MOBILE TOWER	0020.44	00.11%
4.	MASTER PLAN ROAD 60.0 M.	0697.39	03.81%
5.	ROAD	4983.20	27.25 %
TOTAL		18289.00	100.00 %

SCHEME PLOTS DETAIL

1.	PARTICULARS	NO.
2.	RESIDENTIAL PLOT'S	65
3.	INFORMAL COMMERCIAL	8
4.	MOBILE TOWER	2

	SCHEME BOUNDARY
	KHASRA LINE
	PLOT BOUNDARY
	SURRENDER AREA IN MASTER PLAN ROAD 60.0 M.
	MASTER PLAN ROAD 60.0 M.

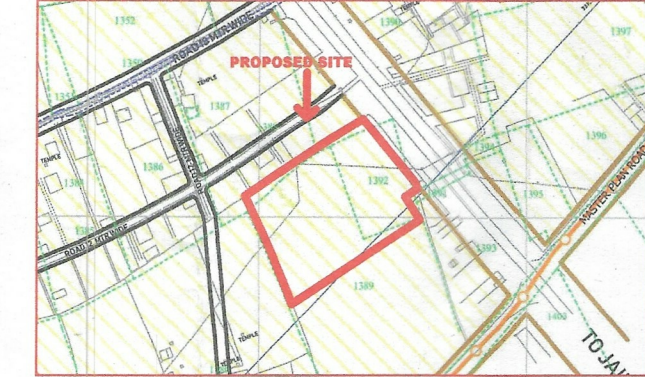
NOTE : ALL DIMENSIONS ARE IN METER
SCALE-1 C.M. = 7.0 MTR

योजना का नाम New Sikar City का ले-आउट आज दिनांक 20/11/2024 को
लेआउट प्लान कमेटी द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

11R-VIT
14/11/24



GOOGLE MAP



SECTOR PLAN MAP

उप नगर नियोजक
नगर सुधार न्यास
सीकर

20/11/2024

साचिव
नगर विकास न्यास, सीकर

AREA IN KH. NO. 1973/1392=5700.00 SQ. MTR
AREA IN KH. NO. 2757/2705=12589.00 SQ. MTR
TOTAL APPLIED AREA =18289.00 SQ. MTR

कार्यालय नगर विकास न्यास, सीकर

सर्किट हाउस के पास, जयपुर रोड, सीकर-332001

ई-मेल uit.sikar@rajasthan.gov.in

क्रमांक:- न.वि.न्या/नियमन/2025/00720

दिनांक:- 02.05.2025

कार्यालय आदेश

न्यास द्वारा निजी खातेदारी में अनुमोदित आवासीय योजना “न्यू सीकर सिटी आवासीय योजना” राजस्व ग्राम सीकर तहसील सीकर के खसरा नं. 1973/1392 रकबा 0.5700 हैक्टेयर व खसरा नं. 2757/2705 रकबा 1.2589 हैक्टेयर अर्थात् कुल रकबा 18289.00 वर्गमीटर (मौके पर उपलब्धानुसार) में राजस्थान टाउनशिप पालिसी 2010 के अनुसार आन्तरिक विकास कार्यों के एवज में रहन रखे गये 12.5 प्रतिशत भू-खण्ड संख्या 5, 6, 7, 54, 55, 56, 57 व 58 (कुल 08 भूखण्ड) को अपेक्षित विकास कार्य पूर्ण करने, चार्टर्ड इंजिनियर की तकनीकी रिपोर्ट उपरान्त न्यास स्तरीय कमेटी की अभिशंषा तथा सीवरेज एवं ड्रेनेज की राशि जमा कराये जाने पर एतद्वारा उपरोक्त रहन रखे गये भू-खण्डों को रहनमुक्त किये जाने की स्वीकृति निम्नांकित शर्त के अध्यक्षीन प्रदान की जाती हैं।

शर्त:-

- विकासकर्ता को सम्पूर्ण कार्य होने के उपरान्त 3 वर्ष तक Maintenance किया जाना आवश्यक होगा। (Maintenance charges may be recovered by developer from the alltees).
- बोरिंग/ट्यूबवेल/ पाईपलाईन को नियमानुसार पी.एच.ई.डी. को हस्तान्तरण (Hand over) किया जाना होगा।
- योजना में विद्युतिकरण का कार्य State Electricity Agency or National Building code के प्रावधानानुसार ए.वि.वि.एन.एल. को हस्तान्तरण किया जाना होगा।

(जगदीश प्रसाद गौड़ RAS)

सचिव

नगर विकास न्यास, सीकर

क्रमांक:- न.वि.न्या/नियमन/2025

दिनांक:-

प्रतिलिपि:-

- संबंधित विकासकर्ता।
- उप नगर नियोजक/कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय हाजा।

(जगदीश प्रसाद गौड़ RAS)

सचिव

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Designation : Secretary
Date: 2025.05.02 18:30:24 IST
Reason: Approved

